विविध बैंक प्रकरण सं0 96/2018 (RCMS 2018/00176) भारतीय स्टेट बैंक, रामसेक, द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर– 335001, राजस्थान बनाम 1. श्री प्रकाश जांगिड पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी 16, जिला सैन्टर, मीरा चौक के पास, श्रीगंगानगर–335001 2. श्रीमती संतोष पत्नि श्री प्रकाश जांगिड निवासी 16, जिला सैन्टर, मीरा चौक के पास, श्रीगंगानगर–335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित है। गत पेशी पर उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण प्रकाश जांगिड एवं श्रीमती संतोष जांगिड को ऋण सुविधा के रूप में 11.90 लाख रूपये (अखरे रूपये ग्यारह लाख नब्बे हजार मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्रीमती संतोष पत्नी श्री प्रकाश जांगिड की Shop No. 16, District Center, Near Meera Chowk, Sriganganagar में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 04.04.2018 को 12,43,966/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 04.04.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों श्री प्रकाश जांगिड एवं श्रीमती संतोष द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी श्रीमती संतोष की उक्त अचल सम्पति Shop No. 16, District Center, Near Meera Chowk, Sriganganagar का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि

प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी श्री प्रकाश जांगिड एवं श्रीमती संतोष को 11.90/— लाख रूपये (अखरे रूपये ग्यारह लाख नब्बे हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्रीमती संतोष द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति Shop No. 16, District Center, Near Meera Chowk, Sriganganagar (72 Sq.Mtr.) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवंम शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **30.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 04.04.2018 भिजवाये गये।** धारा 13(2) के नोटिस पर श्री प्रकाश स्वयं के हस्ताक्षर है। श्रीमती संतोष को जारी धारा 13(2) की तलबी हेतु जारी नोटिस वितरण के फलस्वरूप Supdt. of Post, Sriganganagar के पत्रांक 335000—18319 दिनांक 13.08.2018 की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार श्रीमती संतोष को उक्त धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 06.04.2018 को तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इसप्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के **बाबजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैक** की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **अचल सम्पत्ति** Shop No. 16, District Center, Near Meera Chowk, Sriganganagar (72 Sq.Mtr.) **जो ऋणी श्रीमती संतोष के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 04.04.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 04.04.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी 1. श्री प्रकाश जांगिड, 2. श्रीमती संतोष के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप श्री प्रकाश के प्राप्ति के हस्ताक्षर और श्रीमती संतोष को जारी नोटिस प्राप्ति की डाक वितरण रिपोट, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। **इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक** की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही नोटिस पर कोई

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्रीमती संतोष पत्नि श्री प्रकाश जांगिड द्वारा बंधक रखी गई उक्त आवासीय सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, रामसेक, द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति Shop No. 16, District Center, Near Meera Chowk, Sriganganagar (72 Sq.Mtr.), जो कि ऋणी श्रीमती संतोष पत्नि श्री प्रकाश जांगिड के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। **इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर